



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

सदभ: प्लक्स/साकट/439

दिनांक: 02.09.2026

को

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्यगण / सीओए के सदस्यगण

महोदय/महोदया,

विषय: समुद्री माल ढुलाई घोषणापत्र एवं माल स्थानांतरण विनियम (एससीएमटीआर), 2018 का कार्यान्वयन

संदर्भ: सीबीआईसी परिपत्र संख्या 38/2026-सीमा शुल्क दिनांक 1 सितंबर 2026

हम आपको समुद्री माल ढुलाई घोषणापत्र और ट्रांसशिपमेंट विनियम (एससीएमटीआर), 2018 के कार्यान्वयन के संबंध में उपरोक्त संदर्भित परिपत्र के बारे में सूचित करना चाहते हैं, जो अधिसूचना संख्या 38/2018-सीमा शुल्क (एनटी) दिनांक 11 मई, 2018 और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 73/2026-सीमा शुल्क (एनटी) दिनांक 1 सितंबर, 2026 के माध्यम से जारी किया गया है।

सदस्यों से अनुरोध है कि एससीएमटीआर, 2018 का उद्देश्य माल की जानकारी के अग्रिम इलेक्ट्रॉनिक संग्रह के माध्यम से माल की आवाजाही में पारदर्शिता और पूर्वानुमान सुनिश्चित करना है, जिससे प्रभावी जोखिम मूल्यांकन और त्वरित सीमा शुल्क निकासी संभव हो सके।

- एसईजेड इकाइयां एससीएमटीआर ढांचे में शामिल होने के लिए इस संक्रमणकालीन अवधि का उपयोग कर सकती हैं।
- क्षेत्रीय इकाइयां हितधारकों के समन्वय से उपयुक्त सार्वजनिक सूचनाएं जारी कर सकती हैं और जागरूकता अभियान चला सकती हैं ताकि व्यापार जगत को एससीएमटीआर, 2018 के प्रावधानों से परिचित कराया जा सके और एससीएमटीआर, 2018 का सुचारू रूप से कार्यान्वयन हो सके।
- क्षेत्रीय इकाइयां डीजी सिस्टम के समन्वय से सिस्टम संबंधी मुद्दों का समाधान करेंगी और नीति संबंधी मुद्दों को बोर्ड के संज्ञान में लाया जाएगा।
- इस कार्यान्वयन चरण के दौरान कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एससीएमटीआर, 2018 को सीबीआईसी परिपत्र में शामिल अनुलग्नक ए में उल्लिखित अनुसूची के अनुसार, चरणबद्ध तरीके से **1 सितंबर 2026 से सभी बंदरगाहों पर लागू किया जाएगा।**

सदस्यों से अनुरोध है कि वे यहां दिए गए आधिकारिक परिपत्र को देखें:

https://membership.plasticsepc.org/emails_images/202609021218_53.pdf

आपकी जानकारी के लिए संलग्न सूचनाएं:

1. अधिसूचना संख्या 38 / 2018- सीमा शुल्क (एनटी) दिनांक 11 मई,

2018: https://membership.plasticsepc.org/emails_images/20260902122103.pdf 2.

अधिसूचना संख्या 73/2026-सीमा शुल्क (एनटी) दिनांक 1 सितंबर,

2026: https://membership.plasticsepc.org/emails_images/20260902122207.pdf यह

सूचना के लिए है। सादर

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकौन्सिल